

राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राज0, जयपुर

क्रमांक 134 (2)/नि.अ.मा.वि/अल्प.विका.कोष/निर्माण/2021-22/ 15875 दिनांक: 4/11/2022

जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना  
के विकास कार्यों हेतु दिशा-निर्देश

क्र.स	योजना का नाम/विवरण	विवरण
1.	अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना के विकास कार्य।	90 प्रतिशत राज्यांश तथा जन सहभागिता हिस्सा राशि 10 प्रतिशत।
2.	योजना का आधार	1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ समावेशी विकास कोष का प्रावधान।
3.	उद्देश्य:-	1. राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाना। 2. जन सहभागिता के आधार पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास करना। 3. जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना का विकास कर अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक संवर्धन एवं रोजगार एवं जीविकोपार्जन संसाधनों का विकास करना।
4.	योजना क्षेत्र एवं पात्रता:-	1. सम्पूर्ण राजस्थान राज्य 2. गांव/कस्बा/पंचायत मुख्यालय/नगर निकाय क्षेत्र में स्थित ऐसे क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी निवास करती हो। 3. संबंधित क्षेत्र में जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना की आवश्यकता/मांग तथा क्षेत्रीय विकास में कमी के आधार पर गैप की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है। 4. जन सहभागिता के आधार पर संबंधित क्षेत्र में आधारभूत संरचना के संबंध में स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि अथवा जिला प्रशासन द्वारा आधारभूत संरचना के संदर्भ में कोई मांग की गई हो।

Yash

<p>5. योजनान्तर्गत जन सहभागित के आधार पर अनुमत कार्यों की सूची:-</p>	<p>जन सहभागित के आधार पर अनुमत कार्यों की सूची:-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. दस्तकार वर्किंग शेड मय बिक्री काउन्टर (कशीदाकारी, हस्तशिल्प कार्य, व अन्य कार्य हेतु)।</li> <li>2. अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्थित राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/पंजीकृत मदरसों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/पुस्तकालय/विज्ञान लैब / शौचालय/ पेयजल सुविधा/किचन शेड इत्यादि व अन्य आवश्यकता अनुरूप निर्माण कार्य।</li> <li>3. सार्वजनिक उपयोग के भवन के विकास संबंधी कार्ययथा- चारदीवारी एवं अन्य मरम्मत संबंधी कार्य।</li> <li>4. स्वयं सहायता समूह के कार्य स्थल के रूप में भवन निर्माण का कार्य।</li> <li>5. सार्वजनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।</li> <li>6. सार्वजनिक हित में अल्पसंख्यक आबादी क्षेत्र में सामुदायिक भवन/कौशल विकास केन्द्र/कॉमन सर्विस सेन्टर का भवन निर्माण।</li> <li>7. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण अधिकतम लागत 15.00 लाख तक।</li> <li>8. पेय जल हेतु टंकी (GLR) का निर्माण कार्य (अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक)</li> <li>9. अल्पसंख्यक बस्तियों में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण लागत अनुमान अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक।</li> <li>10. पूर्व के कार्यों/भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत।</li> <li>11. अन्य कार्य, सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त।</li> </ol>
	<p>योजनान्तर्गत जन सहभागित के आधार पर गैर-अनुमत कार्यों की सूची:-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुदान एवं ऋण</li> <li>2. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि का मुआवजा।</li> <li>3. व्यक्तिगत लाभ एवं वाणिज्यिक संगठन की परि-सम्पत्ति।</li> <li>4. धर्म स्थल।</li> </ol>
<p>6. योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति एवं आवेदन प्रक्रिया:-</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सर्वप्रथम जिला स्तर पर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जायेगे।</li> <li>2. जिले में अल्पसंख्यक आबादी के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्ताव आवश्यकता/मांग के अनुरूप तैयार करवाये जायेगे अथवा संबंधित ग्राम/पंचायत/नगर निकाय आदि के मुखिया/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकेगा।</li> <li>3. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को निदेशालय स्तर पर</li> </ol>

Crk

		<p>समेकित कर जारी दिशा-निर्देशा अनुरूप वरीयता निर्धारण कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन विभागीय प्रभारी मंत्री एवं विभागीय प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा किया जायेगा।</li> <li>उक्त अनुमोदन के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।</li> <li>निर्माण कार्य का भुगतान तीन किशतों में किया जायेगा।</li> <li>प्रथम किशत (50 प्रतिशत) का भुगतान कार्य प्रारंभ होने पर तथा द्वितीय किशत (40 प्रतिशत) का भुगतान प्रथम किशत की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किया जायेगा।</li> <li>कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त तृतीय किशत शेष 10 प्रतिशत राशि (समायोजित योग्य मुल्यांकित राशि )नियमानुसार जारी की जायेगी।</li> <li>कार्यकारी एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया जायेगा।</li> <li>कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जाने वाला कार्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निगरानी में किया जायेगा।</li> </ol>
7.	फण्डिंग पेटर्न-	<ol style="list-style-type: none"> <li>अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में जन सहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना के विकास कार्य- 90 प्रतिशत राज्यांश तथा जन सहभागिता हिस्सा राशि 10 प्रतिशत।</li> <li>जन सहभागिता हिस्सा राशि 10 प्रतिशत कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विभाग/कार्यकारी एजेन्सी को जमा करवाया जायेगा।</li> </ol>
8.	कार्यकारी एजेन्सी-	<ol style="list-style-type: none"> <li>योजनान्तर्गत विभागीय कार्यक्रमों की वरीयता के अनुरूप एवं नियमानुसार चयन विभाग के द्वारा किया जायेगा।</li> <li>सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय नगरीय निकाय पंचायती राज्य संस्थाएँ एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 आईटम नं 51</li> </ol>

Lyth

		के अनुसार या केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार का कोई विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो संकर्मों के निष्पादन में लगे हुए हैं।" कार्यकारी एजेन्सी हो सकेंगी।
9.	निर्माण संबंधी दिशा - निर्देश :-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्माण कार्यों की संख्या का निर्धारण विभागीय प्रतिबद्धता एवं वरीयता के अनुरूप किया जाएगा।</li> <li>2. गुणवत्ता नियंत्रण-भवन निर्माण के दौरान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमित तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच की जावेगी।</li> <li>3. जाँच रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय एवं निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात को प्रस्तुत करनी होगी।</li> <li>4. जाँच रिपोर्ट में विपरीत/नकारात्मक टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार भुगतान रोका जा सकेगा।</li> <li>5. कार्य के निर्माण के दौरान या कार्य समाप्ति पर तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) से निरीक्षण भी करवाया जा सकेगा।</li> <li>6. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण के उपरान्त नियमानुसार कार्यकारी एजेन्सी से भवन का कब्जा प्राप्त किया जायेगा।</li> <li>7. निर्माण कार्य के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना की जायेगी।</li> <li>8. विभागीय निर्देशानुसार एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निर्माण संबंधित निर्देश जारी किये जाने पर कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।</li> </ol>

  
 3.XI.2022  
 निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
 अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक 134 (2)/नि.अ.मा.वि/अल्प.विका.कोष/निर्माण/2021-22/ 15876-98 दिनांक: 4.11.2022

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर।
6. उप निदेशक-प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
8. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.....।
9. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

*Cyph*  
3.11.2022  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

